दिनांक : .१.२०१९

प्रति,

मा. मुख्यमंत्री,

उत्तरप्रदेश.

विषय : काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते समय अनेक शिवलिंग नाले में फेंकनेवाले ठेकेदार और संबंधित उत्तरदायी शासकीय अधिकारियों पर कार्यवाही करने के संबंध में....

महोदय,

वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माणकार्य चल रहा है तथा उसके बीच आनेवाले निर्माणकार्य और मंदिर तोडने का काम चल रहा है । इस काम के चलते वहां उत्पन्न मिट्टी का ढेर और मलबा असी नाले के पास फेंका जा रहा है । इस ढेर में स्थानीय शिवभक्त और नागरिकों को अनेक शिवलिंग दिखाई दिए हैं । काशी विश्वनाथ के नाम से चल रहे काम में शिवलिंगों की इस प्रकार अवहेलना होना अत्यंत वेदनादायी है । इस कारण शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वतीजी के प्रतिनिधि तथा 'मंदिर बचाओ अभियान' के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, शिवभक्त, समस्त हिन्दू समाज और स्थानीय नागरिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तथा वे प्रशासन से प्रक्षुब्ध हो गए हैं ।

*** इस अनुषंग से ध्यान में आए सूत्र इस प्रकार हैं ...**

१. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम करने के लिए पुरानी काशी अर्थात पक्का महल के १७५ घरों को तोडने का कार्य चल रहा है । इस क्षेत्र के अनेक घरों में छोटे-बडे मंदिर हैं । मंदिरों को तोडने के पश्चात मलबा असी नाले के पास फेंका गया । स्थानीय लोगों को उस ढेर में अनेक शिवलिंग दिखाई दिए तथा नागरिकों ने उन्हें अपने अपने घर ले जाना प्रारंभ कर दिया ।

२. स्थानीय पुलिस को उक्त जानकारी मिलने पर वे उस ढेर से १२६ शिवलिंग उठाकर पुलिस थाने ले आए । तब भी ढेर में अभी तक अनेक शिवलिंग हैं ।

३. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदजी ने लंका पुलिस थाने में प्रत्यक्ष जाकर थाना प्रभारी को तत्काल शिकायत प्रविष्ट करने हेतु कहा । पुलिस ने धारा २९५, १५३ ब और ४२७ के अंतर्गत शिकायत प्रविष्ट की है ।

४. इस घटना से पहले भी राज्य का विकास करने के नाम पर अथवा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कारण बताकर पंजीकृत मंदिरों को भी अवैध कहकर तोडने का काम बीच बीच में चलता रहता है । इससे करोडों हिन्दू धर्मियों की भावनाएं आहत हो रही हैं ।

*** इस संदर्भ में हमारी मांगे निम्नांकित हैं –**

१. जिस ठेकेदार ने मिट्टी के ढेर के नीचे शिवलिंग फेंका है, उसे खोज कर उस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के प्रकरण में कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए ।

२. इस प्रकरण में उत्तरदायी शासकीय अधिकारियों की भी पूछताछ की जाए तथा यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर भी कानूनी कार्यवाही की जाए ।

३. जिन घरों के मंदिर तोडे गए हैं, उन्हें शासन द्वारा नए मंदिर बनाकर दिए जाएं तथा वहां शिवलिंग की स्थापना की जाए ।

आपका विश्वासपात्र,

(संपर्क :)

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/varanasi/people-got-angry-after-remains-of-shivling-were-found-near-drains-in-varanasi/articleshow/67161562.cms